प्र.सं. ..../ वाद / प्र.पत्र / ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21/1/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वादपत्र पढ़ी स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री अनुसार वाद वादि अन्तिम डिक्री किया जाता है। प्रति.स. 1 व 2 दा.प. हक त्याग प्रति. स. 3 लगा 5 के पक्ष में करने से प्रति. स. 1 व 2 का हिस्सा विलोपित किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर आ. मि. किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी लक्ष्मीकान्त मीना R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
37/दावा/2023(2023/56)	29.03.2023	21.01.2025

सोरभ गोयल आयु 42 वर्ष आत्मज अनिल गोयल जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 14-। वल्लभनगर कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, (राजस्थान)

वादी

बनाम

1. प्रेम कंवर पुत्री नन्द सिंह आयु वयस्क जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
2. भँवर बाई पुत्री नन्द सिंह आयु वयस्क जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी
3. किशन बाई पत्नी नन्द सिंह आयु वयस्क जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
4. मदन सिंह पुत्र नन्द सिंह आयु वयस्क जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
5. राम सिंह पुत्र नन्द सिंह आयु वयस्क जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
6. सोभाग सिंह पुत्र नन्द सिंह आयु वयस्क जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
7. राजस्थान राज्य जरये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः- श्री नन्दसिंह सौलंकी
अधिवक्ता प्रतिवादीः-

- : : निर्णय : : -

वाद अन्तर्गत धारा- 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट अनुसार आदेश 07 नियम 01 सीपीसी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में भूमि खसरा संख्या 212 रकबा 0.3157 हैक्टयर किस्म चाही द्वितीय एंव खसरा संख्या 203 रकबा 0.7932 हैक्टेयर किस्म बारानी विस्थित है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वाद, प्रतिवादी सं 01 लगायत 06 के संयुक्त खाते मे अंकित चली आ रही है वादी का भूमि खसरा सं 212 मे हिस्सा 1/2 निहित है इसी प्रकार भूमि खसरा सं 203 मे हिस्सा 1/2 निहित है एवं प्रतिवादी स. 01 लगायत 06 का संयुक्त रुप से हिस्सा 6/12 निहित है वादी एवं प्रतिवादी सं 01 लगायत 06 उक्त भूमियों के संयुक्त रूप से खातेदार कृषक है। उक्त भूमियॉं संयुक्त है, अभी विधिवत बंटवारा नही हुआ है और बंटवारा नही होने के कारण पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की भुमि का सरकारी योजनाओ का लाभ नही उठा पा रहे है । यह है कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य मौके पर बंटवारा हो रहा है वादी ने भूमि खसरा सं 212 में निहित हिस्से पर बावंड़ी वॉल करवा रखी है तथा भूमि खसरा संख्या 203 मे निहित हिस्से पर तारबन्दी करवा रखी है तथा मौके पर काबिज काश्त है। वादी ने आज से दो माह पूर्व प्रतिवादीगण से विधिवत बटवारा करवाने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण के द्वारा इनकार कर दिया गया। प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 06 टालमटोल करते आ रहे है। वादी अपने हिस्से की भूमि पर स्वतंत्र रूप से काश्त करवाने के अधिकारी है। अन्तिम बार प्रतिवादी सं. 01 लगायत 06 ने लगभग 15 दिन पूर्व बंटवारा करवाने से इनकार कर दिया। सम्पूर्ण भूमि पर अकेले ही काश्त करवाकर उपज प्राप्त करने की धमकी दी। यही वाद कारण है।

वादी को उक्त भूमियों का विधिवत बंटवारा करवाकर वादी का खसरा खसरा सं. 212 में निहित 1/2 हिस्सा व खसरा सं. 203 में निहित 1/2 हिस्सा बंटवारा में आये तथा मौके पर काबिज काश्तनुसार उस पर स्वतंत्र रूप से अपना नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल करवाने का अधिकार है और जो भूमि वादी के हिस्से मे आये उस पर स्वतंत्र रूप से काश्त करने व करवाने का अधिकार है। उपरोक्त परिस्थिति में वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादी सं 01 लगायत 06 का स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वादी के उपरोक्त भूमियों मे निहित हिस्से तक उनके द्वारा कब्जे काश्त करने में बाधा नही डाले, न अन्य से करवाये। इस हेतु प्रतिवादी सं 01 से 06 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। वादी ने वाद पत्र में राज्य सरकार के प्रतिनिधी प्रतिवादी संख्या 07 को पक्षकार बनाया हैं। जिनके विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादी का वाद पत्र अतिआवश्यक प्रकृति का है, क्योंकि

दीगण वादी को वाद वर्णित कृषि भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा हों रहे है। यदि दो माह पूर्व नोटिस देकर वाद प्रस्तुत किया गया तो प्रतिवादी अपने मकसद मे कामयाब हो जायेंगें जिससे वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी इसलिए दो माह पूर्व का नोटिस दिया जाना सम्भव नही है। इसलिए वादी पृथक से धारा 80 (2) जाप्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है जिसे स्वीकार किया जाना न्याय हित मे आवश्यक है। वाद कारण गत 15 दिन पूर्व से प्रतिवादी सं 01 लगायत 06 के द्वारा बंटवारा करने से इनकार करने के कारण व सम्पूर्ण भूमि को अकेले ही काश्त करवाकर अकेले ही सम्पूर्ण उपज प्राप्त करने की धमकी देने के कारण लगातार चला आ. रहा है। अतः वाद अवधि मध्य प्रस्तुत है। वाद कारण श्रीमान के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ है और भूमियां भी श्रीमान के क्षैत्राधिकार मे स्थित है । इसलिए श्रीमान् को वाद को सुनने का अधिकार प्राप्त है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री वाद व्यय सहित प्रदान की जावे। वाद पत्र की चरण सं 01 में वर्णित कृषि भूमियों का विधिवत बंटवारा करवाया जाकर खसरा सं 212 रकबा 0.3157 हैक्टेयर मे निहित हिस्सा 1/2 व खसरा सं. 203 रकबा 0.7932 हैक्टेयर मे निहित हिस्सा 1/2 का प्रतिवादी सं. 01 लगायत 06 से बंटवारा फरमाया जाये कि भूमि पक्षकार के हिस्से अनुसार एवं कब्जे अनुसार राजस्व रिकार्ड में स्वतंत्र रूप से खाते में अंकित फरमायी जाये। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 06 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वे वाद पत्र की चरण स. 01 मे वर्णित आराजी मे से वादी के हिस्से तक आने वाली भूमि पर उनके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे और न ही अन्य से ऐसा करवायें।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

साक्ष्य में वादी की और से स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस उभयपक्ष समाहत की गई । बहस वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए हिस्सानुसार बंटवारा करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन कर पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज नकल जमाबन्दी खाता सं0 नया 57 पुराना 48 ख0सं0 203 रकबा 0.7932 वाके ग्राम जाखमुण्ड संवत् 2076 एवं खाता सं0 नया 374 पुराना 48 ख0सं0 212 रकबा 0.3157 वाके ग्राम जाखमुण्ड संवत् 2076 की आराजी वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी उक्त विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार होने से बंटवारा करवाने का अधिकारी है। अतः वाद–वादी स्वीकार किया जाकर भूमि विभाजन हेतु तहसीलदार तालेडा को कमिश्नर नियुक्त कर फीस कमिश्नर 1000/रू. निर्धारित की गई । कमिश्नर तहसीलदार को लिखा गया कि उक्त वादग्रस्त भूमियों का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य नकल जमाबन्दी खाता सं0 नया 57 पुराना 48 ख0सं0 203 रकबा 0.7932 वाके ग्राम जाखमुण्ड संवत् 2076 एवं खाता सं0 नया 374 पुराना 48 ख0सं0 212 रकबा 0.3157 वाके ग्राम जाखमुण्ड संवत् 2076 पर राज. काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुसार मौके पर कब्जा कास्त भी ध्यान में रखते हुए विभाजन कर विभाजन रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस समस्त खातेदारो की उपस्थिति में तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु प्राथमिक डिक्री के दिनांक 30.08.2024 को आदेश जारी किये गये।

तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रकरण मे प्राथमिक डिकी के आधार पर जर्ये पत्रांक राजस्व/ टीआरए/ 24/ 336 दिनांक 02.12.2024 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है–

क्र.सं.	खातेदार का नाम बटवारे	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा
1	सौरभ गोयल पुत्र अनिल गोयल जाति महाजन निवासी म0नं014ए बल्लभनगर कोटा	जाखमुण्ड	203/2 212/1	0.3966 हैक्टे. 0.1578 हैक्टे.
			कुल किता 2	**0.5544 हैक्टे.**
2	मदनसिंह, रामसिंह, सोभागसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपुत निवासी जाखमुण्ड	जाखमुण्ड	203/1 212/2	0.3966 हैक्टे. 0.1579 हैक्टे.
			कुल किता 2	**0.5545 हैक्टे.**

प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री पर वकील वादी द्वारा उपस्थित होकर सहमति दी जाकर अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव वाद अंतिम डिक्री किया जाता है प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 लगा. 5 को हकत्याग कर दिये जाने

क्र/2

टवारा प्रस्ताव में उनके नाम अंकित नही किये गये। तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि म्मप्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	खातेदार का नाम बटवारे	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा
1	सौरभ गोयल पुत्र अनिल गोयल जाति महाजन निवासी म0नं014ए बल्लभनगर कोटा	जाखमुण्ड	203/2 212/1	0.3966 हैक्टे. 0.1578 हैक्टे.
			कुल किता 2	**0.5544 हैक्टे.**
2	मदनसिंह, रामसिंह, सोभागसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपुत निवासी जाखमुण्ड हिस्सा बराबर	जाखमुण्ड	203/1 212/2	0.3966 हैक्टे. 0.1579 हैक्टे.
			कुल किता 2	**0.5545 हैक्टे.**

बटवारा नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग होगा। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। बैंक का यदि कोई रहन हो तो रहन यथावत रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।

इजलास लक्ष्मीकान्त मीना, आर०ए०एस०

सोरभ गोयल आयु 42 वर्ष आत्मज अनिल गोयल जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 14–। वल्लभनगर कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, (राजस्थान)

वादी

बनाम

1. प्रेम कंवर पुत्री नन्द सिंह आयु वयस्क जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
2. भँवर बाई पुत्री नन्द सिंह आयु वयस्क जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी
3. किशन बाई पत्नी नन्द सिंह आयु वयस्क जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
4. मदन सिंह पुत्र नन्द सिंह आयु वयस्क जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
5. राम सिंह पुत्र नन्द सिंह आयु वयस्क जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
6. सोभाग सिंह पुत्र नन्द सिंह आयु वयस्क जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
7. राजस्थान राज्य जरये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा– 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट
37/दावा/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री नन्दसिंह एडवोकेट मिनजानिब मुदई ... मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव वाद अंतिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि निम्नप्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	खातेदार का नाम बटवारे	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा
1	सौरभ गोयल पुत्र अनिल गोयल जाति महाजन निवासी म0 नं0 14–ए बल्लभनगर कोटा	जाखमुण्ड	203/2 212/1	0.3966 हैक्टे. 0.1578 हैक्टे.
			कुल किता 2	**0.5544 हैक्टे.**
2	मदनसिंह, रामसिंह, सोभागसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपुत निवासी जाखमुण्ड हिस्सा बराबर	जाखमुण्ड	203/1 212/2	0.3966 हैक्टे. 0.1579 हैक्टे.
			कुल किता 2	**0.5545 हैक्टे.**

बटवारा नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग होगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। बैंक का यदि कोई रहन हो तो रहन यथावत रहेगा।

नीज.............................. मुबलिक................................ बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह......................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान					

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 21 माह 01 वर्ष 2025 को जारी की गई।

मोहर

(लक्ष्मीकान्त मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी